न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

15/2019

भगवानदास जांगीड़ ताज कालोनी रोडवेज डिपो के सामने टोंक राज0

--अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला--टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 10-6-2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार को दिनांक 6-4-2019 को आवेदन प्रस्तुत कर निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:-

खसरा नक्शा की नकलें

1- विक्रम सम्वत 1998 की पेमाइश के समय की (सन 1940-42)

2- नक्शा ट्रेस की नकल पेमाइश वर्ष विक्रम सम्वत 1996-98

3- खसरा नम्बर 846/2804

4-खसरा नम्बर 1671, 1705, 1706, 1708 खसरा नम्बर 90, 91 तीन प्रतियों में।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 403 दिनांक 15-5-2019 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्र कमांक 2270/भू0अ0 दिनांक 31-5-2019 से जवाब प्रेषित किया गया कि पत्र में अंकित रिकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 1883 दिनांक 8-5-2019 से सूचित किया कि पत्र में अंकित रिकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं है। जबकि इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में पत्र कमांक 3718 दिनांक 4-5-2015 की प्रति प्रेषित की है जिसमें तहसीलदार उनियारा ने इसी सूचना के सम्बन्ध में अपीलार्थी भगवानदास जांगीड़ को उक्त पत्र द्वारा सूचित किया है कि आप द्वारा चाही गई सूचना तैयार कर दी गई हे अतः आप 40/रूपये के पोस्टल आर्डर प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर लेवें। हमने पत्रावली पर आये सबूत दस्तावेजात का अवलोन किया जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में रिकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध था तो वर्ष 2019 में रिकार्ड कहॉ गया । अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को वांछित सूचना, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner